विहंगावलोकन

भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग-II के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सात संघ शासित क्षेत्र (यूटी) अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के अतिरिक्त यूटी में विधान मण्डल नहीं हैं। यह प्रतिवेदन बिना विधान मण्डल वाले पांच यूटी की लेखापरीक्षा से उजागर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शामिल करता है।

प्रतिवेदन में चार अध्याय शामिल हैं। अध्याय-I संक्षिप्त प्रस्तावना तथा पहले के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही टिप्पणियों की सारांशिकृत स्थिति तथा इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों से प्राप्त उत्तरों की स्थिति प्रदान करता है। अध्याय II यूटी के व्यय क्षेत्र से संबंधित पैराग्राफों को शामिल करता है जबकि अध्याय III राजस्व क्षेत्र से संबंधित है। अध्याय IV यूटी प्रशासन के अंतर्गत पीएसयू से संबंधित पैराग्राफ को शामिल करता है।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटक आवास तथा अन्य अवसरंचनाओं का सृजन

पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 26 परियोजनाओं में से 20 को पूर्ण करने में असफल हुआ। वित्तीय नियमों का उल्लंघन और उचित प्रकार योजना बनाने तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विफलता के परिणामस्वरूप अग्रिमों का अवांछित और अधिक भुगतान, कार्य आदेश जारी करने में विलम्ब जो कार्य के अधित्याग का कारण बना, निष्फल व्यय, निधियों का अवरोधन और किसी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के बिना पुराने जलयान की खरीद हुई।

पैरा सं. 2.1

ठेकेदारों को ₹1.09 करोड़ का परिहार्य भुगतान

मुख्य उत्पादकों के बजाय गौण उत्पादकों से अधिप्राप्ति इस्पात के मूल्य में कटौती के लिए एनआईटी में संगत खण्ड शामिल करने के लिए तथा नियमों के अनुसार भुगतान हेतु इस्पात पर वृद्धि की सही गणना करने के लिए अण्डमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी) के अनुमोदनकर्ता अधिकारी की निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹1.09 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

पैरा सं. 2.2

₹31.26 लाख का अनियमित भुगतान

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने पात्र डाक्टरों को उनके कार्य घंटों के अतिरिक्त उनके द्वारा किए गए दौरों की प्रतिपूर्ति के लिए अभिप्रेत वाहन भत्ते की जांच किए बिना नियमित रूप से उन्हें भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें न्यूनतम ₹31.26 लाख का अनियमित भुगतान मे हुआ।

पैरा सं. 2.3

संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़

नगर निगम चण्डीगढ़ (यू.टी.) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर निगम चण्डीगढ़ (एमसीसी) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (एमएसडब्ल्यू) नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्टों का पृथक्करण नहीं हुआ, अवैज्ञानिक रीति में जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का निपटान हुआ और वायु तथा भूजल गुणवत्ता की निगरानी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त एमसीसी ने निक्षालन संग्रहण टैंक वाले सेनीटरी लैण्डफिल का उपयोग न करने से ₹2.99 करोड़ का निष्फल व्यय किया। इसके अलावा निजी भागीदार द्वारा रिफ्यूज्ड डिराईव्ड फ्यूल (आरडीएफ) की बिक्री एमओयू का उल्लंघन करते हुए हुई।

पैरा सं. 2.4

सेवा कर का अनियमित भुगतान

वन तथा वन्य जीव विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन ने वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के विपरीत ठेकेदारों को ₹2.94 करोड़ के सेवा कर का अनियमित भुगतान किया।

पैरा सं. 2.5

अविवेकपूर्ण ढंग से निधियां जारी करना

समाज कल्याण विभाग, यूटी चण्डीगढ़ ने जरूरत अथवा मांग के बिना तथा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना चण्डीगढ़ आवास बोर्ड को राशि वार्षिक रूप से जारी की। इसके परिणामस्वरूप ₹2.40 करोड़ का अवरोधन हुआ।

पैरा सं. 2.6

संघ शासित क्षेत्र, दादरा एवं नागर हवेली

संघ शासित क्षेत्र "दादरा एवं नागर हवेली (यूटी डी एवं एनएच) में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का कामकाज"

जिला पंचायत, सिलवासा के अभी विनियम, 2012 के अन्तर्गत पीआरआई के विभिन्न, 2012 के अन्तर्गत पीआरआई के विभिन्न कार्यों से संबंधित 51 नियम तथा सात उप-नियम बनाने हैं। डी एवं एनएच ने विनियम में परिकल्पित 29 कार्यों के प्रति डीपी के बारह कार्य पूर्ण रूप से तथा छः कार्य आंशिक रूप से सौंपे दिए है। ग्राम सभाओं की हिस्सेदारी अपर्याप्त थी। निविदा प्रक्रिया तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में त्रुटियां पाई गई थी। सम्पत्ति कर निर्धारण तथा संग्रहण प्रणालियां त्रुटिपूर्ण थी।

पैरा सं. 2.7

संघ शासित क्षेत्र, दमन एवं दीव

₹7.00 करोड़ की निधियों का अवरोधन

लोक निर्माण विभाग, दमन एव द्वीप ने ₹7.00 करोड़ अनियमित रूप से आहरित किए तथा मुम्बई में तैयार फ्लेट की खरीद के लिए ऑम्निबस औद्योगिक विकास निगम (ओआईडीसी) के पास जमा करा दिए

(सितम्बर 2011)। प्रस्ताव असफल रहा तथा उसे सितम्बर 2014 में बन्द कर दिया गया था। लेखापरीक्षा के कहने पर, राशि ओआईडीसी द्वारा वापिस कर दी गई थी (अप्रैल 2015), परन्तु कोई ब्याज नहीं दिया गया।

पैरा सं. 2.8

₹95.68 लाख लागत वाली सड़क साफ करने वाली मशीन का उपयोग न करने के कारण व्यर्थ निवेश

2008 में रोड़ साफ करने वाली मशीन की खरीद से ही वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को अन्तिम रूप देने में दमन नगर निगम की विफलता के परिणामस्वरूप ₹95.68 लाख लागत की मशीन जनवरी 2010 से चालू नहीं रही।

पैरा सं. 2.9

संघ शासित क्षेत्र, लक्षद्वीप

सरकारी निधियां अनियमित रूप से रखना तथा ब्याज की हानि

लक्षद्वीप प्रशासन के संघ शासित क्षेत्र द्वारा खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण ₹11.23 करोड़ से ₹41.64 करोड़, सरकारी लेखे से बाहर रखे रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹8.16 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी।

पैरा सं. 2.10

निधियों का अवरोधन, लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली तथा ब्याज की कम वसूली

नियमों का उल्लंघन करते हुए, केन्द्र शासित क्षेत्र, लक्षद्वीप ने पर्याप्त व्यवहार्यता अध्ययन के बिना दो लम्बे लाईनरों की अधिप्राप्ति हेतु लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड के पास 2011-12 में ₹8.39 करोड़ जमा कराए जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इसे बताए जाने पर एलडीसीएल द्वारा मार्च 2015 में राशि ब्याज सहित वापिस कर दी गई थी, परन्तु ब्याज का निर्धारण कम किया गया था।

पैरा सं. 2.11

सरकारी निधियों का अवरोधन

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व सरकारी निधियों के संवितरण के परिणामस्वरूप 6 वर्ष से अधिक के लिए ₹5.75 करोड़ का तथा उद्देश्य प्राप्त किए बिना मार्च 2014 से ₹14 करोड़ का अवरोधन हुआ।

पैरा सं. 2.12

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

₹51.42 लाख का गबन

सिविल लेखा नियम-पुस्तक के अन्तर्गत अपेक्षित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की समय-समय पर लेखाओं का समाधान करने तथा भुगतान एवं लेखा कार्यालय को बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹51.42 लाख का गबन हुआ।

पैरा सं. 3.1

संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़

संसदीय अनुमोदन के बिना व्यय तथा भारत की समेकित निधि से बाहर विभागीय प्राप्तियां अप्राधिकृत रुप से रोके रखना

पुलिस विभाग, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ ने संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमों के विपरीत ₹10.24 करोड़ की राशि की प्राप्तियों के साथ बैंक खाता ऑपरेट करके 2013-14 तथा 2016-17 के बीच पुलिस की भर्ती पर ₹1.25 करोड़ खर्च किए।

पैरा सं. 3.2

चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में होटलों के संचालन की लाभप्रदता

चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सिटको) ने अपने होटलों की परिचालन कार्यक्षमता को सुधारने के लिए दीर्घावधि व्यापार रणनीति सूत्रबद्ध नहीं की। प्रतिपादन को सुधारने के लिए प्रथा के विपरीत होटलों ने गतिशील मूल्य निर्धारण का अभ्यास नहीं किया। सिटको ने अपने ग्राहकों के अनावश्यक रूप से खाद्य एवं पेय पर लक्जरी टैक्स एकत्र किया। उद्योग प्रथा से भिन्न सिटको ने बैंक संग्रहण का पांच *प्रतिशत* अपने होटल

स्टाफ को वितरित किया। स्टाक का परिनियोजन प्रतिमानों से अधिक है। सिटको ने विस्तृत मानक परिचालन पद्धतियां नहीं बनाई। ग्राहकों को यह सूचित करने के कोई प्रयास नहीं किए गए थे कि ऑनलाईन बुकिंग पर 20 *प्रतिशत* छूट थी। होटल माऊंटव्यू के नवीकरण में अनावश्यक विलम्ब के कारण कारोबार की बहुत हानि हुई। बोर्ड के सुझाव के बावजूद, कोई ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

पैरा सं. 4.1